

12/8
24

पत्रावली पेश हुई पत्रावली का खतबंदी
 किया। वादग्रस्त कारागिरि में जारी एवं
 लिपि नं. 1 के शासकीय दिनांक के
 राजस्व रिपोर्ट में दर्ज है जिसका बका
 तब विक्रय विभाजन नहीं हुआ है
 जारी का. नु. पर नजिर तथा अनुया
 विहित दिनांक का नैसर्गिक विभाजन नहीं
 करे न कारागिरि पेश किया है
 कारागिरि विवाद नहीं बढ़े। रजिस्ट्रार
 प्रमाण प्रमाण के रूप में प्रमाणित होने
 के लिए न्यायालय द्वारा कारागिरि का
 दिनांक 11.7.2017 को खतबंदी किया
 गया है लिपि नं. 1 के प्रारंभिक
 के निरुद्धारण तक पाकर दिया
 गया है कि कारागिरि नं. 445, 446
 के संबंधित रजिस्ट्रार के प्रारंभिक
 के निरुद्धारण तक ही के प्रारंभिक
 रिपोर्ट की प्रमाणित बनी रखा
 जावे। निजी करे ई जहाज विभाजन
 जहां सुनाम गणरा पत्रावली
 के प्रारंभिक सुनाम के नैसर्गिक
 कर दे


 सहायक कलेक्टर
 बड़ीसावड़ी

